15 स्त्रोत पर आयकर कटौती हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी के दायित्व

Responsibility of DDO's for TDS on Salary

आयकर अधिनियम 1961 के धारा 192 के तहत कर्मचारियों को वेतन भुगतान के समय स्त्रोंत पर आयकर कटौती का दायित्व वेतन आहरण एवं वितरण अधिकारी को दिया गया है जिसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान निम्नानुसार है –

(1) अनुमानित आयकर की गणना : वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही कर्मचारी को वेतन व अन्य स्त्रोतों से होने वाली आय कर का अनुमानित आंकलन करना आवश्यक है। अब इस अनुमानित आय पर प्रचलित आयकर की दर से कूल आयकर (Total Income) की गणना करें। यदि कर्मचारी द्वारा वेतन से नियमित कटौती के अतिरिक्त किसी कर बचत योजनाओं में निवेश करने का लिखित आश्वासन दिया जाता है, तो इसका भी निम्नानुसार समायोजन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों को एरियर्स प्राप्त होने पर धारा 89(i) के तहत कर में राहत DDO द्वारा धारा 192(2A) के तहत दी जा सकती है। इस प्रकार प्राप्त कर्मचारी द्वारा देय शुद्ध भुगतान योग्य आयकर (Net Tax Payable) को, माह की संख्या से भाग देकर, प्रतिमाह कटौती योग्य औसत आयकर की गणना की जानी चाहिए। परन्तु औसत आयकर प्रतिमाह वेतन भुगतान के समय काटा जाना आवश्यक है।

(2) सरकारी खाते में आयकर जमा करने की समय सीमा : आयकर नियम 30(1)(B) के तहत आयकर काटने के दिनांक से अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर सरकारी खाते मे जमा करना आवश्यक है। यदि DDO निर्धारित समय पर पूर्ण या आंशिक रूप से देय कर (Due Tax) की कटौती नही करता है, तो उसे 1 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से टी.डी.एस. देय होने की तिथि एवं टी.डी.एस. काटे जाने के बीच की अवधि के लिये साधारण ब्याज देना होगा। तथा यदि कटौती किये गये टैक्स को, निर्धारित समय सीमा के अंदर सरकारी खातें में जमा नही करता है, तो 1.5 प्रतिशत की दर से टी.डी.एस. काटे जाने एवं जमा किए जाने के बीच की अवधि के लिये धारा 201(1)(1A) के तहत साधारण ब्याज देना होगा। यदि कर्मचारी कर भुगतान का दायित्व लिखित रूप से स्वयं पर लेना चाहता है, तो भी आयकर भुगतान का दायित्व निरपेक्ष रूप से, आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) पर ही होगा।

(3) धारा 203 के अनुसार TDS सर्टिफिकेट (फार्म–16) : वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 2 माह अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए 31 मई 2013 तक जारी करना आवश्यक है। कटौती किये गये टैक्स की जानकारी वित्तीय वर्ष 2005–06 से इन्कम टैक्स विभाग को DDO द्वारा CD में, त्रैमासिक दी जायेगी। वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए फार्म–16 के पार्ट ए को सरकारी वेबसाईट https://www.tdscpc.gov.in से डाउनलोड कर जारी करना आवश्यक है।

(4) यदि कर्मचारी वित्तीय वर्ष के दौरान एक से अधिक DDO के अंतर्गत कार्यरत रहा हो : प्रत्येक DDO फार्म 16 के पार्ट ए, उस अवधि के लिए जारी करेगा, जिस अवधि के दौरान कर्मचारी उसके अधीन कार्यरत था तथा फार्म 16 के बी पार्ट को या तो प्रत्येक DDO जारी करेगा या कर्मचारी के विकल्प पर अंतिम DDO जारी करेगा।

(5) सभी सरकारी काय्रलयों के DDO को, TDS रिटर्न (फार्म 24) अब आयकर विभाग द्वारा निर्धारित साफ्टवेयर संबंधित डाटा की प्रविष्टियॉ कर CD के माध्यम से आयकर विभाग में, वित्तीय वर्ष समाप्ति के 2 माह के अंदर अर्थात् 2012–13 के लिए 31 मई 2013 तक जमा करना अनिवार्य है। अन्यथा धारा 272A(2) के तहत 200 रू. प्रतिदिन विलंब के अनुसार (अधिकतम कटौती किये गए कर की राशि के बराबर) पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

(6) यदि कोई DDO कर कटौती लेखा संख्या (TAN) :के लिए आवेदन नही करता है या चालान में TAN अंकित नही करता है, तो धारा 272(BB) के तहत 10,000 रू. आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।

(7) धारा 192 की उप–धारा 2C : के अनुसार आहरण एवं वितरण अधिकारी DDO द्वारा, रू. 2,00,000 से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी को निर्धारित प्रपत्र 12(BA) में तथा अन्य को फार्म 16 में वेतन के अतिरिक्त दी गई अधिलाभों (Perquisite) का सही एवं पूर्ण वितरण उसके मूल्य के साथ अंकित करते हुए उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

1
Wednesday, August 31, 2016 7:53:31 PM